(न्यामूर्ति एम. एम. कुमार)

न्यामूर्ति एम. एम. कुमार और न्यामूर्ति टी. पी. एस. मान के समक्ष

हरियाणा राज्य और अन्य,-अपीलार्थी

बनाम

ए. एस. आई. ऐश . एच. मोहम्मद,-उत्तरदाता

एल. पी. ए. 2011 का 406

25 अप्रैल, 2011

पंजाब पुलिस नियम, 1934-नियम। 12.32-लेटर्स पेटेंट, 1919-सी. एल. X-A.C.R.s-प्रतिकूल टिप्पणियां-सिविल कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई लेकिन स्वीकार नहीं की गईं-पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्वीकार किए गए बाद के अभ्यावेदन-प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया-पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेश वापिस लिया गया-सिविल कोर्ट के डिक्री के न्यायिक फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए था-अभिनिर्धारित, **पुलिस महानिरीक्षक की समीक्षा की शक्ति, यदि कोई हो, इन परिस्थितियों में पूरी तरह से मनमाना-पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया।**

अभिनिर्धारित किया कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से इनकार करने के न्यायिक फैसले को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।यह न केवल अत्यधिक अनुचित है बल्कि पूरी तरह से अनुचित है।भले ही पुलिस महानिरीक्षक को इन परिस्थितियों में इस तरह की शक्ति की समीक्षा करने की कोई शक्ति प्राप्त हो, यह पूरी तरह से मनमाना है।दीवानी अदालत के आदेश के न्यायिक फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए था और इसलिए, पुलिस महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।उपरोक्त कारणों से राम निवास राम निवास मामले (ऊपर) में निर्णय

यहा लागू नहीं होगा।विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को गलत तरीके से लागू किया है।तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 27.1.2010 आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 27.1.2010 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित 30.10.2006 दिनांकित आदेश (P-6) को बरकरार रखा गया है।

(पैरा 7 & 8)

अमन चौधरी, एडिशनल ए. जी., हरियाणा अपीलार्थियों के लिए ।

एस. एन. यादव, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से ।

न्यामूर्ति एम. एम. कुमार

(1) हरियाणा राज्य और उसके अधिकारियों ने याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के पुनर्निर्माण और अनिवार्य सेवानिवृति के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका को अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांकित 27.1.2010 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत तत्काल अपील दायर की है। उसे आगे सभी परिणामी लाभों का हकदार माना गया है। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने पाया है कि रिट याचिका में शामिल विवाद अमरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) के मामले में दिए गए निर्णय और राम निवास बनाम हरियाणा राज्य (2006 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8356, 26.05.2006 को निर्णीत) के मामले में दिए गए इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के साथ-साथ राठी अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भी जुड़ा हुआ है।राम निवास (उपर्युक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है) के तहत या किसी निर्देश या अधीनस्थ कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो कार्यालय में पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए शक्ति प्रदान करता हो और समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब तक

नहीं किया जा सकता जब तक कि यह अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।

(2) वर्तमान मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के खिलाफ एक एएसआई बसंत पाल द्वारा शिकायत की गई थी जब वह पुलिस चौकी, सुशांत लोक, गुड़गांव में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात थे।एक नियमित विभागीय जाँच में उन्हें दोषी पाया गया और सजा दी गई।

---

(1) 1988 (4) एस. एल. आर. 199
(2) 1990 (2) एस. सी. सी. 324

हेड कॉन्सटेबल के पद से कॉन्सटेबल के पद पर बदलने का आदेश दिया गया था।उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया, जिन्होंने दिनांकित 28.4.2001 के आदेश के अनुसार वापसी की सजा को एक वृद्धि को रोकने में बदल दिया।इस बीच, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के एसीआर में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां गुड़गांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 1.4.1999 से 11.10.1999,11.10.1999 से 31.3.2000 और 1.4.2000 से 29.12.2000 की अवधि के लिए दर्ज की गईं।यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए समय-समय पर अलग-अलग अभ्यावेदन दिए, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

अवधि	**अभ्यावेदन** पर विचार करने वाले	परिणाम	आदेश **की** तिथि
1.4.1999 **से** 11.10.1999	पुलिस महानिरीक्षक गुड़गांव रेंज, गुड़गांव।	अस्वीकृत	19.2.2002
11.10.1999 **से** 31.3.2000	पुलिस महानिरीक्षक गुड़गांव रेंज, गुड़गांव।	अस्वीकृत	27.6.2001

1.4.2000 **से** 29.12.2000	पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव।	आंशिक रूप से स्वीकार किया गया	20.7.2002
1.4.1999 **से** 11.10.1999, 11.10.1999 **से** 31.3.2000 और 1.4.2000 **से** 29.12.2000 (समेकित अभ्यावेदन)	पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव।	स्वीकृत	28.1.2005

(3) यह उल्लेख करना उचित है कि एक वेतन वृद्धि के साथ-साथ प्रतिकूल टिप्पणियों को रोकने की सजा के खिलाफ, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसे आंशिक रूप से दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), गुड़गांव द्वारा निर्णय और डिक्री दिनांक 27.9.2004 (P-2) के माध्यम से घोषित किया गया था।उनकी एक वेतन वृद्धि को रोकने के लिए 28.4.2001 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया गया और अपीलार्थियों को एक वेतन वृद्धि जारी करने का निर्देश दिया गया।हालाँकि, प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के उनके अनुरोध को दीवानी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।यहां तक कि अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को भी गुड़गांव के विद्वान जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

(4) प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने सेअस्वीकार करने वाले न्यायिक फैसले के बावजूद, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने फिर से सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए एक समेकित अभ्यावेदन दिनांक 7.1.2005 दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एक वेतन वृद्धि को रोकने के आदेश को दीवानी न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया है।पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज ने दिनांक 28.1.2005 के आदेश के माध्यम से अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया और 1.4.1999 से 11.10.1999,10.10.1999 से 31.3.2000 और 1.4.2000 से 29.12.2000 (P-3) की अवधि के लिए उनकी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया।

(5) 05.09.2006 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि उन्हें उपरोक्त अवधि के लिए उनकी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाकर अनुचित लाभ दिया गया था और दिनांकित 20.07.2002 और 28.01.2005 के पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव द्वारा पारित आदेश वापस बुलाए जाने योग्य है और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त (पी4) किया जाना है।22.9.2006 (P-5) को, याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया।इसके बाद, उन्होंने 2006 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16514 भी दायर किया, जिसमें दिनांक 5.9.2006 (पी-4) के कारण बताए जाने के नोटिस को चुनौती दी गई थी।हालाँकि, उक्त रिट याचिका को याचिकाकर्ता को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए वापस ले लिया गया था।30.10.2006 को, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 के एसीआर (पी-6) में प्रतिकूल टिप्पणियों की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए एक आदेश पारित किया।पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ने 2006 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19128 दायर किया।

(6) उक्त रिट याचिका विचाराधीनता के दौरान, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 को पुलिस अधीक्षक, पलवल द्वारा दिनांक 27.10.2008 के आदेश के अनुसार सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 27.01.2010 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणियों के पुनर्निर्माण के आदेश के साथ-साथ याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया।तदनुसार उसे कानून के अनुसार सभी परिणामी लाभों का हकदार ठहराया गया है।उस संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राम निवास (उपरोक्त) के मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया हैः

"....सबसे पहले, कानून में प्रशासनिक पदानुक्रम है जो सम्मान नहीं होना चाहिए और कोई भी उत्तराधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता है।दूसरा, पंजाब पुलिस नियम, 1934 जो हरियाणा पर भी लागू होते है के तहत या किसी निर्देश या अधीनस्थ कानून में प्रावधान नहीं है जो

कार्यालय में पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए निर्देश और समीक्षा कि शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।इस संबंध में राठी एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., (1990) 2 एस. सी. सी. 324 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है। हमारे विचार को अमरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1988 (4) एस. एल. आर. 199 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से भी समर्थन मिलता है।"

(7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और कागजी पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारा विचार है कि राम निवास (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णय पर याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 के बचाव में नहीं आएंगे।जैसा कि ऊपर वर्णित है, तथ्यात्मक स्थिति की बारीकी से जांच से पता चलता है कि पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने समीक्षा की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।उन्होंने याचिकाकर्ता के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियों की बहाली और पुनर्निर्माण का निर्देश देते हुए 30.10.2006 दिनांकित एक आदेश पारित किया है।ऐसा लगता है कि 30.10.2006 दिनांकित आदेश के समापन पैरा में दिखाई देने वाली पंक्ति, जिसमें कहा गया है कि "तत्कालीन **पुलिस महानिदेशक ने दूसरे अभ्यावेदन को सुनकर सरकार के आदेश के विरुद उपरोक्त टिप्पणियों को गलत और अनधिकृत रूप से हटा दिया है।** निर्देश.", दिनांक 30.10.2006 के आदेश को रद्द करने में विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ वजन किया है।वास्तव में तथ्यात्मक स्थिति इसके विपरीत है।दिनांक 5.9.2006 (पी-4) के कारण बताएँ नोटिस में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ने अलग-अलग अवधि के लिए ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन किया है, जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा 2 में दी गई तालिका से स्पष्ट है।1.4.1999 से 11.10.1999; 11.10.1999 से 31.3.2000 की अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए उनके अभ्यावेदन को पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव द्वारा क्रमशः

19.2.2002 और 27.6.2001 के आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जबकि 1.4.2000 से 29.12.2000 की अवधि के संबंध में उनके एक अन्य अभ्यावेदन को आंशिक रूप से 20.7.2002 पर स्वीकार कर लिया गया था।याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ने 1.4.1999 से 29.12.2000 तक की पूरी अवधि के लिए एक और समेकित अभ्यावेदन किया, जिसे उक्त प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 28.1.2005 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।सिविल कोर्ट द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से इनकार करने का न्यायिक फैसलो को

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है।यह न केवल अत्यधिक अनुचित है बल्कि पूरी तरह से अनुचित है।भले ही पुलिस महानिरीक्षक को इन परिस्थितियों में इस तरह की शक्ति की समीक्षा करने की कोई शक्ति प्राप्त हो, यह पूरी तरह से मनमाना है।दीवानी अदालत के आदेश के न्यायिक फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए था और इसलिए, पुलिस महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।उपरोक्त कारणों से राम निवास मामले (उपरोक्त) में निर्णय लागू नहीं होगा।विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को गलत तरीके से लागू किया है।तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 27.1.2010 आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।(8) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 27.1.2010 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित 30.10.2006 (P-6) दिनांकित आदेश को बरकरार रखा गया है।कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)